

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्यय अनुभाग)

प.4(77)वित्त-1(1)आय.व्य / 2015

जयपुर, दिनांक : 16.02.2017

स्वीकृति संख्या:- 754/2016-17

कोषाधिकारी,
उदयपुर।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी.खाते में राशि रुपये 7146.84 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6/लेखा/ सीटीएडी /एससीए प्रस्ताव /16-17 स्वीकृति सं. 62/2016-17 दिनांक 16.02.2017 राशि रु. 2039.00 लाख, स्वीकृति सं. 51/2016-17 दिनांक 16.02.2017 राशि रु. 1600.00 लाख, स्वीकृति सं. 52/2016-17 दिनांक 16.02.2017 राशि रु. 1370.71 लाख, स्वीकृति सं. 57/2016-17 दिनांक 16.02.2017 राशि रु. 600.00 लाख, स्वीकृति सं. 58/2016-17 दिनांक 16.02.2017 राशि रु. 315.00 लाख, स्वीकृति सं. 59/2016-17 दिनांक 16.02.2017 राशि रु. 416.07 लाख, स्वीकृति सं. 60/2016-17 दिनांक 16.02.2017 राशि रु. 606.06 लाख एवं स्वीकृति सं. 61/2016-17 दिनांक 16.02.2017 राशि रु. 200.00 लाख में अंकित शर्तों के अनुसार आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी. खाते में कुल राशि रुपये 7146.84 लाख (अक्षरे रुपये इकहत्तर करोड़ छियालीस लाख चौरासी हजार) मात्र पी.डी.खाते में की राशि निम्नांकित बजट मदों में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे।

मांग संख्या -30

4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02 - अनुसूचित जन जातियों का कल्याण

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(09) -उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (विकेस)

[01]- जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण

17 - वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)

राशि रुपये 2039.00 लाख

(11) -संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (विकेस)

[03]- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण

17 - वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)

राशि रुपये 1600.00 लाख

[14]- राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण

17 - वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)

राशि रुपये 1370.71 लाख

(24) -जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु पूंजीगत निर्माण कार्य (विकेस)


[02]- टीएडी भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण

17 - वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)

राशि रुपये 2137.13 लाख

योग- राशि रुपये 7146.84 लाख


उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग।
5. अतिरिक्त निदेशक (संयुक्त निदेशक), वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)